

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।	CF 11/5/85, 11/5/85 & 11/5/85 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
	(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये)	

916

दिनांक:

2/6/80

स्थान:

हस्ताक्षर

Bankaji Misra
(निम्न साफ अक्षरों में)
Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh
Forest Conservation Act, 1980
सरकारी मोहर